

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- संसारपुर

वि0ख0- गोगडी

जनपद- गोगडी

ग्राम पंचायत में दिनांक 5.6.2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे/मिमीहीन) उ३	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	जाविनी देवी	स्त्री	45 अध्यक्ष	7267020780
2	श्री धर पाल	पाल	43 सचिव	9005526785
3	संजय कुमार	स्त्री	42 कोषाध्यक्ष	9869522683
4	गुणचरन	स्त्री	36 सामान्य सदस्य	7307630034
5	पंचलाल	स्त्री	40 सामान्य सदस्य	9895076651
6	देवी लाल	श्राव	35 सामान्य सदस्य	8756566076
7	शुभसमान	मुसलमान	38 सामान्य सदस्य	8009102319
8	सोना देवी	गौतम	44 सामान्य सदस्य	9559147277
9	बबिता	गौतम	32 सामान्य सदस्य	9090759112
10	रजो देवी	बिन्द	33 सामान्य सदस्य	7662101091
11	नगमा	मुसलमान	30 सामान्य सदस्य	7021438920
12	बिमल कुमार	मौम	28 सामान्य सदस्य	9986680243
13	उमीला देवी	स्त्री	38 सामान्य सदस्य	7307630034
14	नरानी देवी	श्राव	37 सामान्य सदस्य	7666153037
15	विनोद कुमार	श्राव	30 सामान्य सदस्य	8173078382

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रान्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठों
1	जावित्री देवी	अध्यक्ष	जावित्री
2	व्ही. धर पाल	सचिव	
3	संजय कुमार	कोषाध्यक्ष	संजय कुमार
4	गुरु चरन	सामान्य सदस्य	गुरुचरन ठापर
5	पंचलाल	सामान्य सदस्य	पंचलाल
6	देवीलाल	सामान्य सदस्य	देवीलाल भास्कर
7	हरशाना	सामान्य सदस्य	हरशाना
8	सोना देवी	सामान्य सदस्य	सोना देवी
9	बबीता	सामान्य सदस्य	बबीता
10	रानी देवी	सामान्य सदस्य	रानी देवी
11	नगमा	सामान्य सदस्य	नगमा
12	विमल कुमार	सामान्य सदस्य	विमल कुमार
13	उर्मिला	सामान्य सदस्य	उर्मिला
14	रानी देवी	सामान्य सदस्य	रानी देवी
15	विनायक कुमार	सामान्य सदस्य	विनायक कुमार

